

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 12, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. प्राचीन भारत में बौद्ध परंपरा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बौद्ध मठवासी संस्था (संघ) ने एक संगठित ढांचा प्रदान किया जिसके माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को उनके शिष्यों के तात्कालिक दायरे से परे संरक्षित और प्रसारित किया जा सकता था।
2. बुद्ध द्वारा वेदों के प्रामाण्य (authority) को नकारने का अनिवार्य अर्थ यह था कि मौजूदा सभी सामाजिक मतभेदों को पूरी तरह से नकार दिया गया और इसके परिणामस्वरूप बौद्ध समाज के भीतर जाति-आधारित पहचान का तत्काल लोप हो गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल कथन 2
- (b) दोनों कथन
- (c) न तो कथन 1 और न ही 2
- (d) केवल कथन 1

उत्तर: (d) केवल कथन 1

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** संघ बौद्ध धर्म के संस्थागत विकास के केंद्र में था। इसने एक संगठित मठवासी समुदाय प्रदान किया जिसके माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित, अभ्यास और प्रसारित किया गया। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने आचरण के निर्धारित नियमों का पालन किया और विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया।
- **कथन 2 गलत है:** बौद्ध धर्म ने वैदिक रूढ़िवादिता से जुड़े कर्मकांडीय और सामाजिक प्रामाण्य को चुनौती दी, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा कि बौद्ध धर्म के उद्भव ने तुरंत जाति या सामाजिक मतभेदों को समाप्त कर दिया। बौद्ध साहित्य में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के संदर्भ मिलते हैं। संघ सिद्धांत रूप में तुलनात्मक रूप से अधिक खुला था, क्योंकि इसमें प्रवेश केवल जन्म से निर्धारित नहीं होता था, लेकिन व्यापक समाज में सामाजिक पदानुक्रम (hierarchies) बने रहे।

महत्वपूर्ण UPSC भेद: ब्राह्मणवादी कर्मकांड के धार्मिक आधार को चुनौती देने और सामाजिक स्तरीकरण को पूरी तरह से समाप्त करने के बीच अंतर है। इसलिए बौद्ध धर्म की व्याख्या एक ऐसी तात्कालिक सामाजिक क्रांति के रूप में नहीं की जानी चाहिए जिसने हर मौजूदा पदानुक्रम को मिटा दिया हो।

प्रश्न 2. पारिस्थितिकी संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सबसे अच्छी व्याख्या करता है कि पृथ्वी के भूमि सतह के केवल अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को कवर करने के बावजूद जैव विविधता हॉटस्पॉट (biodiversity hotspots) को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- (a) इनमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग सभी प्रजातियाँ शामिल हैं और इसलिए ये अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के लिए पूर्ण पारिस्थितिक विकल्प के रूप में कार्य करते हैं।
- (b) ये अत्यधिक उच्च स्तर की स्थानिक (endemic) जैव विविधता को महत्वपूर्ण आवास हानि (habitat loss) के साथ जोड़ते हैं, जिससे संरक्षण हस्तक्षेप विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।
- (c) ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कम है।
- (d) इन्हें स्थानिकता (endemism) और आवास हानि की परवाह किए बिना, केवल मौजूद प्रजातियों की कुल संख्या के आधार पर पहचाना जाता है।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

एक जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल बड़ी संख्या में प्रजातियों को शामिल करने वाला क्षेत्र नहीं है। इस अवधारणा में दो महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं:

1. **स्थानिकता का उच्च स्तर (High degree of endemism):** विशेष रूप से संवहनी पौधों (vascular plants) के बीच।
2. **मूल आवास की गंभीर ऐतिहासिक हानि (Severe historical loss of original habitat)।**

इस प्रकार, हॉटस्पॉट दृष्टिकोण उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करता है जहाँ संरक्षण निवेश गंभीर खतरे के तहत अद्वितीय जैव विविधता के एक अत्यधिक बड़े हिस्से की रक्षा कर सकता है।

महत्वपूर्ण वैचारिक जाल: यह धारणा कि केवल प्रजातियों की समृद्धि (species richness) ही हॉटस्पॉट को परिभाषित करती है, गलत है। एक क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता हो सकती है, लेकिन यदि वह स्थानिकता और आवास हानि से संबंधित निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वह आवश्यक रूप से हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है।

हॉटस्पॉट ढांचा इसलिए एक **संरक्षण-प्राथमिकता तंत्र (conservation-prioritisation mechanism)** है, न कि यह दावा कि हॉटस्पॉट में पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता शामिल है।

भारत कई मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट के हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिनमें **हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट-श्रीलंका और सुंडालैंड** शामिल हैं। इन क्षेत्रों के भारतीय हिस्से उनकी उच्च पारिस्थितिक विशिष्टता और आवास विखंडन, बुनियादी ढांचे के विकास, आक्रामक प्रजातियों और अन्य मानवजनित (anthropogenic) कारकों के दबाव के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. FRBM ढांचा राजकोषीय संकेतकों और राजकोषीय पारदर्शिता के संबंध में केंद्र सरकार पर वैधानिक आवश्यकताएं लागू करके राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने का प्रयास करता है।
2. FRBM अधिनियम जीडीपी के 3 प्रतिशत के संख्यात्मक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरी तरह से अपरिवर्तनीय संवैधानिक आवश्यकता बनाता है।

3. वैधानिक ढांचा कानून में निर्धारित शर्तों के अधीन, निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में निर्धारित राजकोषीय पथों से विचलन (deviations) की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** FRBM अधिनियम, 2003 राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और समष्टि आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्दिष्ट राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और यह राजकोषीय असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।
- **कथन 2 गलत है:** जीडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संवैधानिक आवश्यकता समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। यह वैधानिक/राजकोषीय-नीति ढांचे का हिस्सा है और समय के साथ इसमें बदलाव व विचलन हुए हैं।
- **कथन 3 सही है:** यह ढांचा उन परिस्थितियों को स्वीकार करता है जिनमें निर्धारित राजकोषीय पथ से विचलन को उचित ठहराया जा सकता है। संशोधित ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, गंभीर कृषि पतन और कुछ अन्य असाधारण परिस्थितियों के लिए एक 'एस्केप क्लॉज' (escape clause) शामिल है।

प्रमुख UPSC जाल: संवैधानिक कठोरता और वैधानिक राजकोषीय नियमों के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। FRBM एक विधायी ढांचा (legislative framework) है, और राजकोषीय लक्ष्यों को स्थायी रूप से अपरिवर्तनीय संवैधानिक सीमा नहीं माना जा सकता है।

प्रश्न 4. भारत के संविधान के तहत धन विधेयक (Money Bill) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी विधेयक को केवल तभी धन विधेयक माना जा सकता है जब उसमें उन मामलों के आनुषंगिक (incidental) प्रावधानों के अलावा, केवल अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हों।
2. यदि राज्यसभा के अधिकांश सदस्य इसके खिलाफ मतदान करते हैं तो वह लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है।
3. लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह प्रमाणित करने का संवैधानिक अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
4. राज्यसभा को चौदह दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है, ऐसा न करने पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 110(1) धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसमें केवल अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) में निर्दिष्ट मामलों के साथ-साथ उनके आनुषंगिक (incidental) मामलों से संबंधित प्रावधान होने चाहिए।
- **कथन 2 गलत है:** राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। वह संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- **कथन 3 सही है:** अनुच्छेद 110(3) के तहत, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो संवैधानिक व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- **कथन 4 सही है:** अनुच्छेद 109 के तहत, राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक वापस करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

महत्वपूर्ण UPSC भेद: धन विधेयक और साधारण वित्तीय विधेयक के बीच अंतर है। व्यापक अर्थ में प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक की संवैधानिक प्रक्रिया लोकसभा को काफी मजबूत स्थिति प्रदान करती है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

कथन (Assertion A): स्थल और जल समीर (land and sea breezes) का होना मुख्य रूप से स्थल और जल की सतहों के तापीय अंतर (differential heating) से जुड़ा हुआ है।

कारण I (Reason I): जल की तुलना में स्थल सामान्यतः अधिक तेजी से गर्म और ठंडा होता है क्योंकि जल की ऊष्मा धारिता (heat capacity) अधिक होती है और यह अधिक गहराई तक ऊष्मा को वितरित करने में सक्षम होता है।

कारण II (Reason II): दिन के दौरान, अपेक्षाकृत गर्म स्थल की सतह अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है, जिससे यह ऊपर उठती है और एक दाब प्रवणता (pressure gradient) उत्पन्न करती है जो समुद्र से स्थल की ओर अपेक्षाकृत ठंडी हवा की आवाजाही के अनुकूल होती है।

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) कथन (A) और कारण I दोनों सही हैं, लेकिन कारण I कथन (A) की व्याख्या नहीं करता है; कारण II कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) कथन (A) और कारण II दोनों सही हैं, लेकिन कारण I गलत है।

(c) कथन (A) सही है, तथा कारण I और कारण II दोनों सही हैं, और दोनों कथन (A) की सही व्याख्या करते हैं।

(d) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों सही हैं।

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन (A) सही है:** स्थल और जल समीर स्थानीय/आवधिक हवाएं हैं जो मुख्य रूप से स्थल और जल के असमान तापन और शीतलन द्वारा उत्पन्न होती हैं।
- **कारण I सही है:** जल की तुलना में स्थल की प्रभावी ऊष्मा धारिता अपेक्षाकृत कम होती है और यह आमतौर पर आने वाले सौर विकिरण में बदलाव के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। जल लंबवत रूप से भी मिश्रित होता है और अधिक गहराई तक ऊष्मा वितरित करता है। नतीजतन, स्थल तेजी से गर्म और ठंडा होता है।
- **कारण II सही है और सीधे तौर पर दिन के समय चलने वाली जल समीर (sea breeze) की व्याख्या करता है:** दिन के दौरान, स्थल निकटवर्ती समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। गर्म स्थल के ऊपर की हवा फैलती है और ऊपर उठती है, जिससे स्थल की सतह के पास अपेक्षाकृत कम दबाव (low pressure) बनता है। समुद्र के ऊपर की अपेक्षाकृत ठंडी और घनी हवा फिर स्थल की ओर बढ़ती है, जिससे जल समीर (sea breeze) उत्पन्न होती है।

रात में, इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है:

- स्थल तेजी से ठंडा होता है $\rightarrow$ स्थल के ऊपर की हवा अपेक्षाकृत ठंडी और घनी हो जाती है - स्थल के ऊपर अपेक्षाकृत उच्च दबाव बनता है - हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है - स्थल समीर (land breeze)।



दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्रश्न 1. भारत मरीन इंश्योरेंस पूल (BMIP) के तहत हाल ही में पेश किए गए प्रोटेक्शन एंड इंडेन्निटी (P&I) बीमा उत्पाद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. P&I बीमा मुख्य रूप से जहाज के मालिक को जहाज के संचालन से उत्पन्न होने वाली निर्दिष्ट तृतीय-पक्ष देनदारियों (third-party liabilities) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, न कि प्राथमिक रूप से स्वयं जहाज को हुए भौतिक नुकसान को कवर करता है।

2. एक घरेलू P&I ढांचे के विकास का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, विदेशी P&I व्यवस्थाओं पर भारत की निर्भरता को कम करना और समुद्री व्यापार के एक आवश्यक घटक पर संप्रभुता को मजबूत करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल कथन 2
- (b) दोनों कथन
- (c) न तो कथन 1 और न ही 2
- (d) केवल कथन 1

उत्तर: (b) दोनों कथन

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** प्रोटेक्शन एंड इंडेमिटी बीमा मौलिक रूप से समुद्री बीमा में एक देनदारी कवर (liability cover) है। यह चालक दल (crew), यात्रियों, माल (cargo), प्रदूषण, मलबे को हटाने (wreck removal) से संबंधित दावों और जहाजों के संचालन से उत्पन्न होने वाली अन्य तृतीय-पक्ष देनदारियों को कवर कर सकता है। इसलिए यह वैचारिक रूप से हल एंड मशीनरी (Hull & Machinery) बीमा से अलग है, जो मुख्य रूप से जहाज को होने वाले भौतिक नुकसान या क्षति से संबंधित होता है।
- **कथन 2 सही है:** अंतरराष्ट्रीय P&I व्यवस्थाओं पर भारत की पारंपरिक निर्भरता ने भू-राजनीतिक व्यवधानों, प्रतिबंधों और समुद्री व्यापार को प्रभावित करने वाली अस्थिरता के दौरान सुभेद्यता (vulnerabilities) पैदा की। इसलिए सरकार ने समुद्री बीमा में घरेलू क्षमता विकसित करने का प्रयास किया है। भारत मरीन इंश्योरेंस पूल (BMIP) इस व्यापक प्रयास का हिस्सा रहा है, जिसमें सरकार ने एक घरेलू P&I उत्पाद विकसित करने और अंततः अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल एक पारस्परिक-क्लब (mutual-club) संरचना की खोज के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है।

UPSC के लिए मुख्य वैचारिक अंतर:

- **हल एंड मशीनरी (Hull & Machinery)** → जहाज को हुआ भौतिक नुकसान
- **कार्गो बीमा (Cargo Insurance)** → माल/कार्गो की हानि/क्षति
- **P&I** → जहाज के संचालन से उत्पन्न होने वाली तृतीय-पक्ष देनदारियां

इसलिए, घरेलू P&I पहल में बीमा-क्षेत्र का आयाम और समुद्री रणनीतिक-स्वायत्तता का आयाम दोनों शामिल हैं।

प्रश्न 2. 'निपुण' (Nipun), जो हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा और पानी के नीचे परिचालन क्षमताओं से जुड़ा था, को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है:

- (a) एक स्वदेशी परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी जो मुख्य रूप से पनडुब्बी विरोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन की गई है।
- (b) एक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल (Diving Support Vessel) जिसे गहरे समुद्र में डाइविंग, पानी के नीचे बचाव और पनडुब्बी बचाव अभियानों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(c) एक स्वायत्त मानवरहित पानी के नीचे का वाहन जो विशेष रूप से समुद्र तल खनिज अन्वेषण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(d) एक विशेष हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जो मुख्य रूप से नेविगेशनल चार्ट तैयार करने के लिए लक्षित है।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

निपुण, आईएनएस निस्तार (INS Nistar) के बाद भारत की स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) श्रेणी का दूसरा पोत है। इसे 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापट्टनम द्वारा किया गया था।

DSV एक विशेष नौसैनिक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पानी के नीचे चुनौतीपूर्ण अभियानों को अंजाम देना है। निपुण निम्नलिखित से जुड़ा हुआ है:

- गहरे समुद्र में डाइविंग ऑपरेशन।
- पानी के नीचे बचाव (salvage) कार्य।
- पनडुब्बी बचाव सहायता।
- डाइविंग सहायता प्रणाली।
- रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROVs)।
- अभियानों के दौरान स्थिति बनाए रखने के लिए डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम।

यह पोत डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (DSRV) के लिए एक मदर शिप (mother ship) के रूप में भी काम कर सकता है, जो इसे भारत की पनडुब्बी बचाव क्षमता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

महत्वपूर्ण UPSC ट्रेप: एक DSV को पनडुब्बी, सर्वेक्षण पोत या लड़ाकू पोत समझने की गलती न करें। इसका महत्व प्रत्यक्ष आक्रामक युद्ध के बजाय मुख्य रूप से पानी के नीचे सहायता और बचाव के बुनियादी ढांचे में निहित है।

प्रश्न 3. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के निर्दिष्ट कृत्यों के खिलाफ वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
2. संविधान या राष्ट्रीय ध्वज की केवल आलोचना या असहमति की अभिव्यक्ति, जब कानून सम्मत साधनों के माध्यम से संशोधन या परिवर्तन की मांग करने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसे स्वयं इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है।
3. यह अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज या संविधान से जुड़े निर्दिष्ट कृत्यों के लिए तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

- (b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** अधिनियम की धारा 2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान से संबंधित है। इन राष्ट्रीय प्रतीकों को जलाने, विकृत करने, विरूपित करने, नष्ट करने, रौंदने या अन्यथा अनादर प्रदर्शित करने जैसे कुछ कृत्यों पर, जब वे वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, दंड आकर्षित होता है।
- **कथन 2 गलत है:** अधिनियम में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण योग्यता शामिल है। कानून सम्मत साधनों द्वारा संशोधन या परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से संविधान या राष्ट्रीय ध्वज की असहमति या आलोचना व्यक्त करने वाली टिप्पणियों को केवल इसलिए अपराध नहीं माना जाता क्योंकि वे आलोचना का निर्माण करती हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है: कानून अपमान/अनादर के निर्दिष्ट रूपों को लक्षित करता है, न कि संवैधानिक रूप से संरक्षित आलोचना को।
- **कथन 3 सही है:** धारा 2 के तहत सजा को तीन साल के कारावास, या जुर्माना, या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है।

समसामयिक मामलों का एक और आयाम महत्वपूर्ण है: 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।

इस प्रकार, UPSC आलोचना की संवैधानिक स्वतंत्रता और वैधानिक रूप से निषिद्ध अनादर के बीच अंतर का परीक्षण कर सकता है।

प्रश्न 4. भारत के पहले टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन (TMZ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच सहयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है।
2. इस जोन की परिकल्पना एक विशेष विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की गई है जिसमें दूरसंचार उपकरण निर्माता, प्रौद्योगिकी कंपनियां, डेटा-सेंटर से संबंधित गतिविधियां और चिप निर्माता शामिल हो सकते हैं।
3. जोन के प्लग-एंड-प्ले (plug-and-play) चरित्र का तात्पर्य है कि संभावित औद्योगिक इकाइयां संपूर्ण बुनियादी औद्योगिक ढांचे को स्वतंत्र रूप से बनाने के बजाय पूर्व-विकसित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

उत्तर: (c) सभी तीन

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** भारत ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अपना पहला टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए 30 जुलाई 2026 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूर संचार विभाग (DoT) और मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **कथन 2 सही है:** TMZ को टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग वैल्यू चेन के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अन्य हितधारकों के साथ-साथ टेलीकॉम उपकरण, प्रौद्योगिकी कंपनियां, डेटा सेंटर और चिप निर्माता शामिल हैं।
- **कथन 3 सही है:** यह परियोजना एक प्लग-एंड-प्ले मॉडल का अनुसरण करती है। औद्योगिक नीति में, इसका मोटे तौर पर अर्थ यह है कि आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं पहले से विकसित की जाती हैं ताकि उद्यम अधिक कुशलता से परिचालन स्थापित कर सकें।

केवल एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने के अलावा इस परियोजना का एक व्यापक रणनीतिक महत्व है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है:

- घरेलू दूरसंचार विनिर्माण को मजबूत करना;
- आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन (resilience) विकसित करना;
- एमएसएमई (MSMEs) और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना;
- निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना;
- आयातित दूरसंचार उपकरणों पर निर्भरता कम करना;
- 6G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की स्थिति को मजबूत करना।

पहले चरण में पर्याप्त निवेश और रोजगार आकर्षित करने की उम्मीद है, जबकि दीर्घकालिक उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

प्रश्न 5. शहीद उधम सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ'डायर (Michael O'Dwyer) की हत्या कर दी थी।
2. उनका कृत्य 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की उनकी इच्छा से जुड़ा था।
3. माइकल ओ'डायर वह ब्रिटिश अधिकारी था जिसने व्यक्तिगत रूप से जनरल डायर को जलियांवाला बाग में एकत्र सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल, लंदन में माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी। ओ'डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की अवधि के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर के रूप में कार्य किया था।
- **कथन 2 सही है:** उधम सिंह का क्रांतिकारी कृत्य 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के उनके संकल्प से गहराई से जुड़ा था। वे उस समय अमृतसर में मौजूद थे और उन्होंने इस नरसंहार को औपनिवेशिक क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखा।
- **कथन 3 गलत है:** यह जानबूझकर बनाया गया एक ट्रैप है।
 - **जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर** वह सैन्य अधिकारी था जिसने जलियांवाला बाग में एकत्र भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था।
 - दूसरी ओर, **माइकल ओ'डायर** पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर थे और उन्होंने बाद में अधिकारियों की कार्रवाइयों का बचाव और समर्थन किया था।

इस प्रकार, UPSC इस अंतर का परीक्षण कर सकता है:

- **जनरल डायर** → जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया
- **माइकल ओ'डायर** → पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर; व्यापक प्रशासनिक जिम्मेदारी और कार्रवाई के समर्थन से जुड़े

उधम सिंह पर बाद में मुकदमा चलाया गया और 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। उनके द्वारा 'राम मोहम्मद सिंह आजाद' नाम का उपयोग अक्सर उनके औपनिवेशिक विरोधी और समावेशी राष्ट्रवादी प्रतीकवाद के संदर्भ में चर्चा में रहता है।

प्रश्न 6. इबेरियन प्रायद्वीप (Iberian Peninsula) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इबेरियन प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है।
2. स्पेन और पुर्तगाल इस प्रायद्वीप पर कब्जा करने वाले प्रमुख देश हैं।
3. पायरेनीस (Pyrenees) पर्वत श्रृंखला इबेरियन प्रायद्वीप को उत्तर में महाद्वीपीय यूरोप के शेष भाग से अलग करने वाला प्रमुख प्राकृतिक पर्वतीय अवरोध बनाती है।
4. यह प्रायद्वीप विशेष रूप से भूमध्य सागर से घिरा हुआ है और इसका कोई अटलांटिक तट नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

विस्तृत व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** इबेरियन प्रायद्वीप दक्षिण-पश्चिम यूरोप में स्थित है।
- **कथन 2 सही है:** स्पेन और पुर्तगाल इबेरियन प्रायद्वीप के मुख्य क्षेत्र हैं।
- **कथन 3 सही है:** पायरेनीस (Pyrenees) पर्वत श्रृंखला इबेरियन प्रायद्वीप और महाद्वीपीय यूरोप के बाकी हिस्सों, विशेष रूप से फ्रांस के बीच एक प्रमुख पर्वतीय अवरोध का निर्माण करती है।
- **कथन 4 गलत है:** इबेरियन प्रायद्वीप में व्यापक अटलांटिक के साथ-साथ भूमध्य सागरीय समुद्री फैलाव (exposure) है। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर एक ऐसे प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से और पूर्व तथा दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा है, जबकि उत्तरी तट के साथ कैंटाब्रियन सागर (Cantabrian Sea) स्थित है।

मानचित्र आधारित UPSC टेकअवे (Map-based Takeaway):

मानचित्र संबंधी प्रश्नों के लिए, व्यापक स्थानिक क्रम (spatial sequence) को याद रखें:

फ्रांस → पायरेनीस पर्वत → इबेरियन प्रायद्वीप → स्पेन और पुर्तगाल

और प्रायद्वीप के चारों ओर:

- **अटलांटिक महासागर** → पश्चिम
- **भूमध्य सागर** → पूर्व / दक्षिण-पूर्व
- **कैंटाब्रियन सागर** → उत्तर
- **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य (Strait of Gibraltar)** → दक्षिण → उत्तरी अफ्रीका की ओर जाने वाला मार्ग

यह स्थान अटलांटिक-प्रभावित उत्तर व पश्चिम और प्रायद्वीप के तुलनात्मक रूप से अधिक भूमध्यसागरीय/शुष्क क्षेत्रों के बीच जलवायु विषमता (climatic contrast) को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

GS सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - I: विश्व इतिहास (World History)

प्रश्न 1. "औद्योगिक क्रांति केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं थी; इसने यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को मौलिक रूप से बदल दिया और तत्पश्चात वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दिया।" चर्चा कीजिए।

NCERT संदर्भ: विश्व इतिहास के कुछ विषय, कक्षा XI — औद्योगिक क्रांति / मूल निवासियों का विस्थापन एवं संबंधित विषय।

मॉडल उत्तर:

औद्योगिक क्रांति, जो अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में शुरू हुई और बाद में महाद्वीपीय यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों में फैली, कृषि और हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था से यंत्रीकृत उत्पादन, कारखानों और औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। इसका महत्व तकनीकी नवाचार से कहीं आगे तक फैला हुआ था, क्योंकि इसने सामाजिक संबंधों, आर्थिक संगठन, राजनीतिक विचारों और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन को बदल दिया।

आर्थिक रूप से, मशीनीकरण ने उत्पादकता क्षमता में भारी वृद्धि की। भाप के इंजन के आविष्कार और सुधार, यंत्रीकृत कपड़ा उत्पादन, लोहा और इस्पात प्रौद्योगिकियों तथा उन्नत परिवहन ने उत्पादन लागत को कम किया और बाजारों का विस्तार किया। फैक्टरी प्रणाली ने धीरे-धीरे घरेलू और कारीगरी उत्पादन के कई पारंपरिक रूपों को विस्थापित कर दिया। परिणामस्वरूप, औद्योगिक पूंजीवाद ने उद्यमियों और औद्योगिक पूंजीपति वर्ग (bourgeoisie) की स्थिति को मजबूत किया, जबकि एक बड़े वेतन-आश्रित कार्यबल (working class) का निर्माण किया।

सामाजिक रूप से, औद्योगीकरण ने शहरीकरण को गति दी। मैनचेस्टर जैसे शहर विनिर्माण के केंद्र बन गए और बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को आकर्षित किया। हालाँकि, शुरुआती औद्योगिक शहरों की विशेषता अक्सर अत्यधिक भीड़, खराब स्वच्छता, खतरनाक कार्यस्थल और कम मजदूरी थी। एक विशिष्ट औद्योगिक श्रमिक वर्ग के उद्भव ने वर्ग चेतना और सामूहिक लामबंदी के नए रूपों को जन्म दिया।

राजनीतिक परिणाम भी उतने ही गहरे थे। औद्योगिक समाज ने उदारवाद, समाजवाद, ट्रेड यूनियनवाद और श्रमिक वर्ग के राजनीतिक आंदोलनों के विकास में योगदान दिया। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स जैसे विचारकों ने वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से औद्योगिक पूंजीवाद का विश्लेषण किया। बढ़ते राजनीतिक दबाव के जवाब में सरकारों ने धीरे-धीरे श्रम कानून, कारखाना विनियमन और सामाजिक-सुरक्षा उपाय पेश किए।

औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद और वैश्विक आर्थिक संबंधों को भी बदल दिया। यूरोपीय औद्योगिक शक्तियों को कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के लिए बाजारों की आवश्यकता थी, जिसने औपनिवेशिक विस्तार को प्रोत्साहित किया। रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ नेटवर्क ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक पूंजीवादी संरचनाओं में गहरे एकीकरण को सुगम बनाया, जो अक्सर अत्यधिक असमान तरीकों से हुआ।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Assessment)

हालाँकि, औद्योगिक क्रांति को केवल एक यूरोपीय सफलता की कहानी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसके लाभों के साथ-साथ निम्नलिखित दुष्प्रभाव भी जुड़े थे:

- श्रमिकों का शोषण;
- बाल और महिला श्रम का शोषण;
- पर्यावरण का क्षरण (Environmental degradation);

- औपनिवेशिक दोहन;
- बढ़ती असमानताएँ;
- कई क्षेत्रों में पारंपरिक उद्योगों का विस्थापन।

साथ ही, औद्योगीकरण ने अंततः उच्च उत्पादकता, तकनीकी प्रसार, जन शिक्षा, बेहतर परिवहन और बढ़ते जीवन स्तर के लिए स्थितियाँ बनाईं।

इस प्रकार, औद्योगिक क्रांति मानव समाज का एक **संरचनात्मक रूपांतरण** थी, न कि केवल आविष्कारों का एक क्रम। इसने पूँजी और श्रम के बीच संबंधों को बदल दिया, शहरीकरण को गति दी, नई राजनीतिक विचारधाराओं को प्रोत्साहित किया और यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए सामग्री की नींव प्रदान की। इसकी समकालीन विरासत को अभी भी वैश्विक पूँजीवाद, औद्योगिक शहरीकरण, तकनीकी परिवर्तन और असमानता व सतत विकास पर चर्चाओं में देखा जा सकता है।

GS सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - II: शासन प्रणाली (Governance)

प्रश्न 2. "सुशासन (Good Governance) केवल कुशल प्रशासन का पर्याय नहीं है। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, उत्तरदायित्व और समता (Equity) की आवश्यकता होती है।" समकालीन भारतीय शासन के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए।

NCERT संदर्भ: भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा XI; स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा XII।

मॉडल उत्तर:

शासन (Governance) उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से सार्वजनिक संस्थान नीतियाँ बनाते हैं, सेवाएँ प्रदान करते हैं, समाज को विनियमित करते हैं और नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहते हैं। दक्षता (Efficiency) शासन का एक आवश्यक घटक है, लेकिन यह अपने आप में सुशासन का निर्माण नहीं कर सकती। एक प्रशासन पारदर्शी, बहिष्कारी या गैर-जवाबदेह रहते हुए भी तेजी से सेवाएँ दे सकता है। इसलिए, सुशासन के लिए दक्षता को संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ जोड़ना आवश्यक है।

पारदर्शिता (Transparency) मौलिक है क्योंकि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सार्वजनिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं और संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** ने एक संस्थागत तंत्र बनाकर इस सिद्धांत को मजबूत किया जिसके माध्यम से नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पारदर्शिता सूचना विषमता (information asymmetry) को कम करती है और भ्रष्टाचार को रोक सकती है।

जवाबदेही (Accountability) यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी रहें। विधायी निगरानी, संसदीय समितियाँ, लेखापरीक्षा संस्थान, न्यायिक समीक्षा, सतर्कता तंत्र और सामाजिक लेखापरीक्षा (social audits) महत्वपूर्ण जवाबदेही तंत्र हैं। उदाहरण के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक व्यय की जांच करके वित्तीय जवाबदेही में योगदान देते हैं।

भागीदारी (Participation) एक अन्य आवश्यक आयाम का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतांत्रिक शासन को आवधिक चुनावों तक सीमित नहीं किया जा सकता। ग्राम सभाएँ, सार्वजनिक परामर्श, नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र, सहभागी योजना और विकेंद्रीकृत संस्थान नागरिकों को सीधे उन नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं जो उन्हें प्रभावित करती

हैं। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता ने विकेंद्रीकृत शासन के संस्थागत आधार को मजबूत किया।

उत्तरदायित्व/संवेदनशीलता (Responsiveness) का अर्थ है कि प्रशासन नागरिकों की आवश्यकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करता है। डिजिटल गवर्नेंस ने ऑनलाइन सेवा वितरण, डिजिटल भुगतान, शिकायत पोर्टल और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र के माध्यम से इस क्षमता को काफी बढ़ाया है। हालाँकि, डिजिटलीकरण अपने आप में अंतिम साध्य नहीं बनना चाहिए।

यह **समता (Equity)** के महत्वपूर्ण सिद्धांत को पेश करता है। एक डिजिटली कुशल प्रणाली फिर भी उन नागरिकों को बाहर कर सकती है जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच, डिजिटल साक्षरता, दस्तावेज या तकनीकी संसाधनों की कमी है। इसलिए, तकनीक संचालित शासन में पहुंच, सहायता प्राप्त सेवा वितरण और समावेशन को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges)

समकालीन भारतीय शासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- नौकरशाही में देरी और प्रक्रियात्मक जटिलता;
- भ्रष्टाचार और लगान-खोज (rent-seeking) की प्रवृत्ति;
- अपर्याप्त संस्थागत क्षमता;
- केंद्र-राज्य और अंतर-एजेंसी समन्वय समस्याएं;
- डिजिटल विभाजन (Digital Divide);
- कमजोर शिकायत निवारण तंत्र;
- सीमित नागरिक भागीदारी;
- कुछ नीतिगत क्षेत्रों में अत्यधिक केंद्रीयकरण।

आगे का रास्ता (Way Forward)

भारत को "सरकार-केंद्रित प्रशासन" से "नागरिक-केंद्रित शासन" की ओर संक्रमण की आवश्यकता है। इसके लिए परिणाम-आधारित प्रशासन, मजबूत स्थानीय सरकारें, सामाजिक लेखापरीक्षा, ओपन डेटा, संवेदनशील शिकायत तंत्र, नैतिक नागरिक सेवाएं और निजता या पहुंच से समझौता किए बिना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग आवश्यक है।

इस प्रकार, सुशासन को केवल एक प्रशासनिक प्रदर्शन मीट्रिक के रूप में नहीं, बल्कि एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। दक्षता यह निर्धारित करती है कि सरकार कितनी जल्दी कार्य करती है; सुशासन इसके अतिरिक्त यह पूछता है कि क्या वह पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाबदेह, समावेशी और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार कार्य करती है।

GS सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - III: आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

प्रश्न 3. "पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान केवल सैन्य या कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा करने में भूगोल, पहचान, विकास, सीमाओं और बाहरी संबंधों के अंतर-संबंधों का परीक्षण कीजिए।"

NCERT संदर्भ: भारत: लोग और अर्थव्यवस्था, कक्षा XII; समकालीन विश्व में सुरक्षा, कक्षा XII।

मॉडल उत्तर:

पूर्वोत्तर भारत अपने भौगोलिक अलगाव, कठिन इलाके, जातीय विविधता और कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की निकटता के कारण एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति रखता है। यह क्षेत्र संकीर्ण **सिलीगुड़ी कॉरिडोर** के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है, जबकि यह बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। नतीजतन, इसकी सुरक्षा चुनौतियों में आंतरिक और बाहरी दोनों आयाम शामिल हैं।

ऐतिहासिक रूप से, पूर्वोत्तर के हिस्सों में उग्रवाद (insurgency) जातीय पहचान, राजनीतिक शिकायतों, कथित आर्थिक उपेक्षा, स्वायत्तता की मांगों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संयोजन से प्रभावित रहा है। इस क्षेत्र की असाधारण जातीय और भाषाई विविधता ने कभी-कभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि और संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी दावे उत्पन्न किए हैं।

भौगोलिक आयाम (Geographical Dimension)

घने जंगल, पहाड़ और कठिन भूभाग गुरिल्ला अभियानों को सुगम बना सकते हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति को कठिन बना सकते हैं। लंबी और छिद्रपूर्ण (porous) अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ निम्नलिखित से संबंधित अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा करती हैं:

- हथियारों की तस्करी;
- नशीले पदार्थों की तस्करी;
- अवैध प्रवास;
- मानव तस्करी;
- उग्रवादी समूहों की आवाजाही।

भारत-म्यांमार सीमा विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि कठिन भूभाग और अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर फैले जातीय समुदाय मौजूद हैं।

बाहरी आयाम (External Dimension)

उग्रवादी संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न बिंदुओं पर, सीमा पार शरणस्थलों, अनौपचारिक नेटवर्क और हथियारों के मार्गों से लाभ उठाया है। इसलिए, पड़ोसी देशों के साथ खुफिया सहयोग, सीमा प्रबंधन और राजनयिक जुड़ाव महत्वपूर्ण हैं।

हालाँकि, **केवल बल प्रयोग (coercive approach) वाले दृष्टिकोण की सीमाएँ हैं।** सुरक्षा अभियान अंतर्निहित राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों को हल किए बिना अस्थायी रूप से हिंसा को दबा सकते हैं।

विकास और कनेक्टिविटी (Development and Connectivity)

खराब कनेक्टिविटी, बेरोजगारी, सीमित औद्योगीकरण और बाजारों तक अपर्याप्त पहुंच ने ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा की धारणाओं में योगदान दिया है। साथ ही, बुनियादी ढांचे का विकास पारिस्थितिक और आदिवासी चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

'एक्ट ईस्ट' (Act East), बहु-मॉडल कनेक्टिविटी, सीमा बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय व्यापार से संबंधित पहल पूर्वोत्तर को एक कथित परिधीय क्षेत्र से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर एक रणनीतिक प्रवेश द्वार में बदल सकती हैं।

आगे का रास्ता (Way Forward)

एक व्यापक रणनीति में निम्नलिखित का संयोजन होना चाहिए:

सुरक्षा + विकास + संवाद + कनेक्टिविटी + संवैधानिक समायोजन (Constitutional accommodation)।

इसके लिए आवश्यक है:

- खुफिया तंत्र को मजबूत करना;
- सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में सुधार;
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण;
- हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना;
- अंतर-राज्यीय समन्वय को बढ़ावा देना;
- रोजगार और शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना;
- जहां संवैधानिक रूप से उपयुक्त हो, स्वायत्त परिषदों को मजबूत करना;
- निरंतर राजनीतिक संवाद को जारी रखना;
- पूर्व उग्रवादियों का संवेदनशील पुनर्वास और पुनरीकरण सुनिश्चित करना।

छठी अनुसूची और अन्य संवैधानिक तंत्र दर्शाते हैं कि पूर्वोत्तर के प्रति भारत के दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक रूप से विभेदित शासन (differentiated governance) के महत्व को मान्यता दी है।

अंततः, पूर्वोत्तर को केवल एक सुरक्षा सीमा (security frontier) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक साथ एक रणनीतिक प्रवेश द्वार, पारिस्थितिक क्षेत्र, सांस्कृतिक ताना-बाना और विकास का अवसर है। टिकाऊ शांति तब उभरेगी जब नागरिक भारतीय राज्य को केवल सुरक्षा बलों की उपस्थिति के माध्यम से नहीं बल्कि न्याय, अवसर, कनेक्टिविटी और सार्थक राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महसूस करेंगे।

Dream | Dare | Deliver

GS सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - IV: नीतिशास्त्र (Ethics)

प्रश्न 4. "नैतिक शासन (Ethical Governance) के लिए न केवल व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा (Integrity) की आवश्यकता होती है, बल्कि संस्थाओं की सत्यनिष्ठा की भी आवश्यकता होती है।" व्याख्या कीजिए। अनैतिक आचरण की गुंजाइश को कम करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है?

NCERT संदर्भ: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि — UPSC GS पेपर IV ढांचा; भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा XI से प्रासंगिक संवैधानिक मूल्य।

मॉडल उत्तर:

सार्वजनिक प्रशासन में नीतिशास्त्र पर अक्सर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और सहानुभूति जैसे व्यक्तिगत गुणों के संदर्भ में चर्चा की जाती है। हालाँकि, नैतिक शासन विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकारियों के नैतिक चरित्र पर निर्भर नहीं हो सकता। संस्थानों को स्वयं इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करें, जहाँ आवश्यक हो विवेक (discretion) को सीमित करें और दुराचार को पता लगाने योग्य व जवाबदेह बनाएं।

एक पारदर्शी और खराब डिज़ाइन की गई प्रणाली के भीतर काम करने वाला एक ईमानदार अधिकारी अभी भी उन प्रोत्साहनों का सामना कर सकता है जो अनैतिक आचरण को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत, अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए संस्थान भ्रष्टाचार के अवसरों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, भले ही व्यक्तिगत प्रेरणाएँ अपूर्ण हों।

संस्थागत सत्यनिष्ठा (Institutional Integrity) का अर्थ है कि प्रक्रियाएं, नियम, प्रोत्साहन और संगठनात्मक संस्कृतियाँ सामूहिक रूप से संवैधानिक मूल्यों का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, पारदर्शी खरीद (procurement) प्रणालियाँ मनमाने पक्षपात के अवसरों को कम करती हैं। ई-प्रोक्योरमेंट डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है और अधिकारियों व ठेकेदारों के बीच अनावश्यक आमने-सामने की बातचीत को कम करता है।

इसी तरह, शक्तियों का पृथक्करण (separation of powers) और संस्थागत नियंत्रण व संतुलन (checks and balances) प्राधिकरण के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकते हैं। संसदीय निगरानी, न्यायिक समीक्षा, लेखापरीक्षा संस्थान और स्वतंत्र नियामक निकाय जांच के कई बिंदु बनाते हैं।

व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा बनाम संस्थागत सत्यनिष्ठा

व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा में शामिल हैं:

- ईमानदारी;
- नैतिक साहस;
- निष्पक्षता;
- कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता;
- सहानुभूति;
- हित के टकराव (conflict of interest) से बचना।

संस्थागत सत्यनिष्ठा में शामिल हैं:

- पारदर्शी प्रक्रियाएं;
- अनुमानित नियम;
- स्वतंत्र निगरानी;
- जवाबदेही;
- शिकायत निवारण;
- व्हिसलब्लोअर के लिए सुरक्षा;
- वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन।

एक काल्पनिक खरीद अधिकारी पर विचार करें जिसे एक ठेकेदार द्वारा पर्याप्त रिश्त की पेशकश की जाती है। उनका इनकार व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। लेकिन यदि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी है, तो भ्रष्टाचार का वही अवसर किसी अन्य अधिकारी के साथ पुनः उत्पन्न हो सकता है। पारदर्शी ई-टेंडरिंग, बहु-स्तरीय जांच और ऑडिट ट्रेल्स पेश करना नैतिक समस्या के संस्थागत आयाम को संबोधित करता है।

इसी तरह, कल्याणकारी वितरण में, एक ईमानदार अधिकारी लाभों को निष्पक्ष रूप से वितरित कर सकता है। फिर भी पूरी तरह से विवेकाधीन लाभार्थी चयन पर आधारित प्रणाली पक्षपात के अवसर पैदा करना जारी रख सकती है। स्पष्ट

पात्रता मानदंड, सामाजिक लेखापरीक्षा, शिकायत तंत्र और सार्वजनिक रूप से सुलभ लाभार्थी सूची ऐसे जोखिमों को कम कर सकती हैं।

नैतिक शासन के लिए संस्थागत डिज़ाइन

भारत निम्नलिखित के माध्यम से संस्थागत नीतिशास्त्र को मजबूत कर सकता है:

- **डिज़ाइन द्वारा पारदर्शिता (Transparency by design)** — स्वतः संज्ञान से प्रकटीकरण (proactive disclosure) और ओपन डेटा।
- **जवाबदेही तंत्र** — स्वतंत्र लेखापरीक्षा और विधायी निगरानी।
- **अत्यधिक विवेक में कमी** — स्पष्ट नियम और मानकीकृत प्रक्रियाएं।
- **डिजिटल पता लगाने की क्षमता (Digital traceability)** — सत्यापन योग्य निर्णय ट्रेल्स बनाए रखना।
- **हितों के टकराव का ढांचा** — प्रकटीकरण और स्वयं को अलग करने (recusal) के तंत्र।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण** — प्रतिशोध के डर के बिना रिपोर्टिंग को सक्षम करना।
- **नैतिक नेतृत्व** — वरिष्ठ अधिकारी संगठनात्मक मानकों को निर्धारित करें।

हालाँकि, अत्यधिक प्रक्रियात्मकता से भी बचा जाना चाहिए। नीतिशास्त्र को केवल अनुपालन (compliance) तक सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वास्तविक प्रशासनिक स्थितियों में अक्सर प्रतिस्पर्धी मूल्य शामिल होते हैं।

इसलिए, नैतिक शासन के लिए गुणी व्यक्तियों और अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई संस्थाओं के बीच तालमेल (synergy) की आवश्यकता होती है। उद्देश्य ऐसे सिस्टम बनाना होना चाहिए जिसमें सही काम करना न केवल नैतिक रूप से वांछनीय हो बल्कि संस्थागत रूप से प्रोत्साहित, पारदर्शी और टिकाऊ भी हो।

समसामयिक मुद्दे (Current Affairs): भारत का अगला विकास फ्रंटियर रिपोर्ट (India's Next Growth Frontier Report)

प्रश्न 5. "भारत के आर्थिक विकास का अगला चरण केवल नियामक बाधाओं को कम करने पर कम और बाजारों के भीतर प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता में सुधार पर अधिक निर्भर करेगा।" 'इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर' रिपोर्ट के प्रकाश में, भारत की उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रतिस्पर्धा-उन्मुख संरचनात्मक सुधारों के महत्व का परीक्षण कीजिए।

मॉडल उत्तर:

भारत का आर्थिक परिवर्तन तेजी से खंडित बाजारों और नियामक विकृतियों की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था से एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की क्षमता पर निर्भर करता है जहाँ **प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता, नवाचार और संसाधनों का कुशल आवंटन** विकास को संचालित करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट 'इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर: रिड्यूसिंग एंटी-कंपैटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस टू बिल्ड ऑन इंडियाज 2010-2023 रिफॉर्म प्रोग्रेस' (India's Next Growth Frontier: Reducing Anti-Competitive Market Distortions to Build on India's 2010-2023 Reform Progress) मार्केट डिस्टॉर्शन्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (MDPI) के माध्यम से इस मुद्दे का परीक्षण करती है। यह रिपोर्ट IIFT के सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (CTIL) के सहयोग से कंपीटियर फाउंडेशन (Competere Foundation) द्वारा तैयार की गई थी।

रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि MDPI पर भारत की स्थिति 2010 और 2023 के बीच **82वें से सुधरकर 57वें स्थान** पर आ गई। यह सूचकांक तीन व्यापक आयामों की जांच करता है: **संपत्ति-अधिकार संरक्षण, घरेलू प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा**। यह सुधार किसी एकल नीतिगत हस्तक्षेप के बजाय संरचनात्मक सुधारों के संचयी प्रभाव को दर्शाता है।

कई सुधारों ने इस बदलाव में योगदान दिया है:

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** ने अप्रत्यक्ष करों की बहुलता को कम करके अधिक एकीकृत घरेलू बाजार बनाने में मदद की।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)** ने संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान के तंत्र को मजबूत किया और संभावित रूप से पूंजी आवंटन में सुधार किया।
- **व्यापार सुगमीकरण और नियामक सुधारों** ने भी कुछ लेन-देन लागतों को कम किया है और निवेश के माहौल में सुधार किया है।

हालाँकि, सुधार का अगला चरण एक अधिक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। **किसी विनियमन को हटा देने से स्वतः ही प्रभावी प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं होती है।** प्रवेश बाधाओं, केंद्रित बाजार शक्ति, असममित जानकारी (asymmetric information), नियामक कब्जे (regulatory capture), बुनियादी ढांचे या प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच और क्षेत्र-विशिष्ट निवेश प्रतिबंधों के कारण बाजार विकृत रह सकते हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था इस चुनौती को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाती है। डिजिटल बाजार नेटवर्क प्रभाव, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और डेटा लाभ उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रमुख फर्मों को पर्याप्त बाजार शक्ति हासिल करने की अनुमति देते हैं। नतीजतन, प्रतिस्पर्धा नीति को केवल बाजार में काम करने वाली फर्मों की संख्या के बजाय उपभोक्ता कल्याण, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता (contestability) पर तेजी से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्ट विशेष रूप से डिजिटल और उभरते क्षेत्रों के लिए साक्ष्य-आधारित (evidence-based) प्रतिस्पर्धा नीति का आह्वान करती है।

भारत के लिए महत्व

एक मजबूत प्रतिस्पर्धा ढांचा निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

- आवंटन दक्षता (allocative efficiency) में सुधार;
- नवाचार को प्रोत्साहित करना;
- कीमतें कम करना और उपभोक्ता विकल्पों में सुधार करना;
- उत्पादकता बढ़ाना;
- निवेश को सुगम बनाना;
- MSME प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना;
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) के साथ भारत के एकीकरण में सुधार करना।

साथ ही, प्रतिस्पर्धा नीति को सावधानीपूर्वक अंशांकित (calibrated) किया जाना चाहिए। अत्यधिक हस्तक्षेप निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन एकाधिकार या एकाधिकारवादी संरचनाओं को उभरने की अनुमति दे सकता है।

इसलिए भारत को एक **त्रियामी सुधार रणनीति** अपनानी चाहिए:

घरेलू प्रतिस्पर्धा + अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता + उपभोक्ता कल्याण।

इसके लिए मजबूत प्रतिस्पर्धा संस्थानों, पारदर्शी नियामक प्रक्रियाओं, क्षेत्रीय प्रतिबंधों की आवधिक समीक्षा, अनुमानित निवेश नियमों और प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय व व्यापार नियामकों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

इसलिए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चर्चा को पारंपरिक प्रश्न *"भारत में कितना विनियमन होना चाहिए?"* से हटाकर अधिक परिष्कृत प्रश्न *"क्या भारत के नियम और संस्थान प्रतिस्पर्धी, उत्पादक और नवाचार-उन्मुख बाजार बनाते हैं?"* की ओर ले जाती है।

उच्च वृद्धि को बनाए रखने और अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए, भारत के संरचनात्मक सुधार को केवल विनियमन हटाने (deregulation) के बजाय **कुशल बाजारों, संस्थागत गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता** पर केंद्रित होना चाहिए।

